राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांकः एफ 7(418)(1)परि/नियम/मु./2011/51473 जयपुर, दिनांकः 25/6/14

कार्यालय आदेश संख्या.19/2014

विषयः– केन्द्रीय मोटर यान नियम 1989 के नियम 104 के प्रावधानों की पालना हेतु।

रात्रिकालीन परिवहन को सुदृश्य बनाने हेतु केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989, के नियम 104 के उपनियम (1) में समस्त परिवहन यानों पर AIS–090–2005 मानक के रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप लगाया जाना अनिवार्य किया गया है ।

उपरोक्त प्रावधानों के पालनार्थ निम्न निर्देश प्रसारित किए जाते हैः–

(i) समस्त परिवहन वाहनों पर सामने की ओर सफेद रंग की एवं पीछे की ओर लाल रंग की परावर्ती टेप, वाहन की सम्पूर्ण चौडाई में लगाई जाएगी।

(ii) 3.5 टन से अधिक और 7.5 टन से कम सकल यान भार (GVW) के भार वाहनों पर लगाये जाने वाली टेप की न्यूनतम चौडाई 20 मिलीमीटर होगी।

(iii) 7.5 टन और इससे अधिक सकल यान भार (GVW) के भार वाहन (ट्रेलर/सेमीट्रेलर सहित) पर लगाये जाने वाली टेप की न्यूनतम चौडाई 50 मिलीमीटर होगी तथा वाहन के पीछे की ओर लगाये जाने वाली टेप कन्टूर मार्किंग के रूप में होगी अर्थात् वाहन के पिछले सम्पूर्ण भाग पर एक आउटलाईन के रूप में टेप लगाई जाएगी। (कन्टूर मार्किंग की डिजाईन संलग्न AIS–090–2005 मानकों में उपलब्ध है।)

(iv) बैठक क्षमता 10 एवं अधिक के, 5 टन सकल यान भार से अधिक वजनी यात्री वाहनों के दोनों साईडों में भी, बॉडी की सम्पूर्ण लम्बाई की पीले रंग की परावर्ती टेप लगाई जाएगी।

(v) उपरोक्तानुसार लगायी जाने वाली समस्त परावर्ती टेप AIS–090–2005 के उपबंध में 4, 5, व 6 के अनुरूप मानक की होगी एवं केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989, के नियम 126 में विनिर्दिष्ठ जांच संस्थाओं में से किसी संस्था द्वारा जारी टाईप अप्रुवल

सर्टिफिकेट एवं कन्फर्निटी ऑफ प्रॉडक्शन सर्टिफिकेट (TAC & COP) धारक निर्माताओं द्वारा निर्मित होगी।

(vi) इस क्रम में CMVR, 1989 के नियम 126 में यथा विर्निदिष्ठ जांच अभिकरण, ARAI की वेबसाईट पर उपलब्ध सूचना एवं टेप निर्माताओं द्वारा प्रस्तुत TAC & COP के आधार पर निम्नांकित निर्माता कम्पनियों द्वारा निर्मित टेप निर्धारित AIS–090–2005 मानक की प्रमाणित पायी गयी हैः–

(a) Every Dennision India Pvt. Ltd.

(b) 3-M India Ltd.

(c) Reflexite Safety India Pvt. Ltd.

अतः अग्रिम आदेशों तक उक्त निर्माताओं द्वारा निर्मित रिफ्लेक्टिव टेप ही वाहनों पर लगाए जाएगें। उक्त सूची, मानकों एवं नियमों के आधार पर यथा समय परिवर्तनीय है।

(vii) उपरोक्त निर्माता कम्पनियों द्वारा केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989, के नियम 104 (1) में यथा उल्लेखित प्रावधानों के अनुरूप निर्धारित लम्बाई, परिमाप एवं मानक की रिफ्लेक्टिव टेप, AIS–090–2005 द्वारा निर्धारित डिजाईन अनुसार ही लगाई गयी है, इसके प्रमाण स्वरूप निर्माता कम्पनी अथवा उसके अधिकृत डीलर द्वारा प्रत्येक वाहन हेतु एक फिटमेंट सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा।

(viii) उक्त फिटमेंट सर्टिफिकेट मय मुद्रित क्रमांक एवं कम्पनी के होलोग्राम सहित प्रत्येक वाहन हेतु जारी किया जाएगा, जिसमें वाहन का पंजीयन क्रमांक, वाहन का प्रकार, चैसिस नम्बर, इंजन नम्बर आदि प्रविष्टियाँ सुपाठ्य अक्षरों/अंको में उल्लेखित की जाएगी। इसके साथ ही वाहन पर लगाई गयी टेप की लम्बाई, चौडाई एवं रंग आदि का सम्पूर्ण विवरण अंकित किया जाएगा।

(ix) फिटमेंट प्रमाण पत्र 3 प्रतियों में तैयार किया जाकर प्रथम प्रति संबंधित परिवहन कार्यालय, द्वितीय प्रति वाहन के साथ तथा तृतीय प्रति निर्माता कम्पनी के कार्यालय में संधारित की जाएगी जो विभागीय अधिकारियों द्वारा जांच हेतु मांगे जाने पर प्रस्तुत की जा सकेगी।

(x) उपरोक्त प्रावधानों एवं मानकों की पालना नहीं करने वाले वाहनों के पंजीयन, पुनः पंजीयन, फिटनेस आदि कार्य नहीं किए जाएंगे तथा चैकिंग के दौरान ऐसे वाहनों के फिटनेस प्रमाण पत्र निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।

इस संबंध में पूर्व में जारी किए गए कार्यालय आदेशों की पालना कडाई से नहीं किएं जाने की जानकारी प्राप्त हुई है, अतः इस क्रम में केन्द्रीय मोटर यान नियम 1989 के नियम 104 (1) तथा AIS–090–2005 की छायाप्रतियां संलग्न कर पुनः निर्देशित किया जाता है कि आपके क्षेत्राधीन जिलों में संचालित समस्त वाहनों में प्रावधानानुसार एवं निर्धारित मानकों के अनरूप रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप लगायी जानी सुनिश्चित करवा कर शत प्रतिशत पालना की रिपोर्ट मुख्यालय को प्रेषित करें तथा आदेशों की अवहेलना करते हुए वाहनों के फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने वाले निरीक्षक, जिला परिवहन अधिकारी तथा प्रवर्तन कर्मियों के नामों की जानकारी के साथ आदेशों की पालना न करने के कारण अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जाएं।

इस संबंध में की गयी कार्यवाही की समुचित रिपोर्ट अपर परिवहन आयुक्त (नियम) को ई–मेल पते transport.rules@rajasthan.gov.in पर आवश्यक रूप से नियमित भिजवाना सुनिश्चित करें।

परिवहन आयुक्त एवं
प्रमुख शासन सचिव

क्रमांकः एफ 7(418)(1)परि/नियम/मु./2011/51474-480 जयपुर, दिनांकः 25/6/14

प्रतिलिपिः–

1. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं प्रमुख शासन सचिव।
2. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण।
3. समस्त अपर परिवहन आयुक्त (जोन)।
4. समस्त प्रादेशिक/अति. प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी।
5. समस्त उप परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन)।
6. श्री संजय सिंघल, एसीपी को विभाग की वेबसाईट की अपडेंटिंग हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।

अपर परिवहन आयुक्त (नियम)